

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक—..... / 03 / 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य वन विकास निगम लि०/अनुषंगी में कार्यरत कर्मियों का कर्मीवार उपयुक्त कारणों के साथ उनके माँग के आलोक में बकाया राशि ₹224.30 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख तीस हजार रू०) मात्र तथा श्री कैलाश सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी (से०नि०) को अव्यहृत अवकाश के विरुद्ध ₹2.1993 लाख (दो लाख उन्नीस हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र अर्थात् कुल (₹224.30+₹2.1993) ₹226.4993 लाख (दो करोड़ छब्बीस लाख उनचास हजार नौ सौ तीस रुपये) मात्र उक्त निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा भुगतान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1119 दिनांक-29.03.2016 की कंडिका-3 को संशोधित करते हुए उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी हेतु वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है तथा उनके संबद्ध कोषागार (सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना) से BTC-51 पर इस राशि की निकासी करते हुए उनके द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि०, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
3. इस प्रकार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1119 दिनांक-29.03.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन निगम-07/2015

/प०व० पटना-15, दिनांक-...../03/2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन निगम-07/2015

1136/प०व० पटना-15, दिनांक-31/03/2016

प्रतिलिपि :- मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि०, पटना/वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rhs

31/3/16

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव